कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी
दूरभाष 07290–222606,फैक्स 07290–222606
ई – मेल deobarwani@gmail.com

संख्या...   दिनांक..

बडवानी जिले की 04 विधानसभा क्षैत्रों के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (**EPIC**) मुद्रण हेतु सीलबंद मुहर युक्त निविदा आमंत्रण

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी
दूरभाष 07290–222606,फैक्स 07290–222606
ई – मेल deobarwani@gmail.com

निविदा–सूचना

निविदा आवेदन हेतु शुल्क रू 500/– (पांच सौ रू मात्र)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक फा.क. 10/2022/3/निर्वा/नामावली/6093 भोपाल दिनांक 19.10.2021 में दिये गए निर्देशों के परिपालन में बडवानी जिले की विधानसभा क्षेत्र 187–सेंधवा (अजजा) , 188–राजपुर (अजजा) ,189 –पानसेमल (अजजा) एवं 190–बडवानी (अजजा) के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र चालान द्वारा **(मुख्य शीर्ष 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–02 निर्वाचन–101 निर्वाचन कार्य विवरण की बिकी–104 फीस जुर्माना प्राप्तियां–800 अन्य प्राप्तियां)** से दिनांक 08.11.2021 तक सांय काल 3.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन) जिला बडवानी में निर्धारित समयावधि तक प्राप्त की जावेगी। निविदाएं दिनांक 10.11.2021 को सांय काल 3.00 बजे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा खोली जावेगी।

(शिवराज सिंह वर्मा)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बडवानी

पृ.क्रमांक/ /निर्वाचन/2021 बडवानी दिनांक 11/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल को सूचनार्थ।
2. आयुक्त मध्यप्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग भोपाल की ओर राज्य एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश।
5. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. जिला जनसंपर्क अधिकारी बडवानी की ओर प्रकाशनार्थ।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बडवानी की ओर वेबसाईट पर निविदा सूचना के प्रसार हेतु।
8. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बडवानी के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

(शिवराज सिंह वर्मा)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बडवानी

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बडवानी

संख्या   /निर्वाचन/टेण्डर/2021   बडवानी दिनांक   /11/2021

विधानसभा क्षैत्रों हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए निविदा
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बडवानी– म.प्र.

फोन नंबर–07290–222606   ई – मेल deobarwani@gmail.com

निविदा आवेदन हेतु रूपये 500/–(अक्षरी पांच सौ रूपये मात्र) निर्धारित हेड में चालान द्वारा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक फा.क्र. 10/2022/3/निर्वा.नामा./6093 भोपाल दिनांक 19.10.2021 के अनुसार बडवानी जिले की चार विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 187–सेंधवा (अजजा), 188–राजपुर (अजजा), 189–पानसेमल (अजजा) एवं 190–बडवानी (अजजा) के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार किये जाने हेतु जीएसटी पंजीकृत अनुभवी प्रतिष्ठित फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है।

01	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	08.11.2021
02	निविदा फार्म का शुल्क	500/– रूपये का चालान
03	अमानत राशि	25,000/–
04	निर्धारित नियम शर्तो के अनुसार तकनीकी निविदा के रूप में अन्य अभिलेखों के साथ निविदा आवेदन शुल्क और अमानत राशि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	09.11.2021 3:00 बजे तक
05	निविदा समिति/अधिकृत अधिकारीयों द्वारा तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने तथा नियमानुसार तकनीकी प्रस्ताओ को मूल्यांकन आदि हेतु तिथि और समय	10.11.2021 3:00 बजे
06	तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की नियमानुसार वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	11.11.2021 3:00 बजे
07	तकनीकी निविदा का लिफाफा एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा पृथक–पृथक होकर बडे लिफाफे में सीलबंद मुहर युक्त प्रस्तुत किया जावें	–

(शिवराज सिंह वर्मा)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बडवानी

भाग–2

कार्य क्षैत्र में समाहित कार्य का विवरण

(Scope of Work)

1. जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में नवीन जोडे गए मतदाताओं एवं उनके प्रविष्टियों में सुधार आदि होने पर डूप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र मुद्रित करना । सुपीरियर क्वालिटी का प्रिंटर होना चाहिए।

2. मतदाता पहचान पत्र प्रिंटिंग के पश्चात मतदात केंन्द्र के पहचान पत्रों को मतदान केन्द्रवार बंडल बनाकर रखना।

3. विधानसभा वार मुद्रित किये गए पहचान पत्रों की सूची तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना, तथा पहचान पत्रों को 5 दिवस के अंदर स्पीड पोस्ट से मतदाताओं को भेजना Both Side प्रिंटिंग पर पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

4. मतदाता पहचान पत्र मुद्रण का कार्य वर्तमान कार्य दिनांक 31.01.2022 तक किया जाना है। जिसे आयोग के निर्देशानुसार अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए बढाया जा सकता है। दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति में मुद्रित किये जाने वाले ईपीक कार्ड की संख्या एवं विधानसभा वार विवरण निम्न है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम	01.11.2021 की स्थति के अनुसार कुल		अनुमानित मुद्रित फोटो पहचान पत्र (प्रत्येक मतदान केंन्द्र के लिए) Double Side	निविदा हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) रू
	मतदान केंन्द्र	मतदाता		
187–सेंधवा (अजजा)	309	258536	7862	25,000 / –
188–राजपुर (अजजा)	290	233770	7786	
189–पानसेमल (अजजा)	284	236094	7835	
190–बडवानी (अजजा)	352	251142	7768	

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक

भाग–3

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता फोटो पत्र तैयार कराने हेतु दिशा निर्देश

1. विधानसभा के मतदाता फोटो पहचान पत्र मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदाकारों से दिनांक 08.11.2021 को सायं 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदाकार द्वारा तकनीकि एवं वित्तिय बिड लिफाफे में उपलब्ध कराकर प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा संपुर्ण अभिलेखों को हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. तकनीकी निविदाओं को दिनांक 09.11.2021 को अपराहं 03 बजे से निविदा समिति के अधिकृत अधिकारीयों के द्वारा खोला जाएगा।
4. निविदाकार को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
5. फर्म को रू 100/– के नान जुडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित एवं तकनीकी निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं अभिसत्य है और कोई भी सूचना जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, छिपाई नहीं गई है।
6. निविदा प्रस्तुत कर्ता फर्म आदि के पास प्रत्येक दिन कम से कम 10000 पीव्हीसी कार्ड प्रिंट करने क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के ईपीक कार्ड प्रिंटर होने चाहिए।
7. प्रिंटिंग कार्यालय द्वारा प्रदाय प्री–प्रिंटेड पीव्हीसी कार्ड में ही मान्य की जावेगी।
8. निविदा के साथ अपेक्षित धरोहर की धनराशि अपेक्षाकृत प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नही होगी।
9. निर्धारित तिथी एवं समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारीयों के द्वारा तकनीकी निविदाएं खोली जाएगी, मूल्यांकन एवं वर्गीकरण उपरांत पात्र निविदाकारों की सूची तैयार कर वित्तिय निविदाएं खोली जाएगी। अपात्र पाए गए निविदाकारों की निविदाएं नहीं खोली जाएगी।
10. पात्र पाए गए निविदाकार की ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनतम निविदा के आधार पर एल–1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
11. नियमानुसार किसी भी फर्म/कंपनी की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात रू 1000/– के नान जुडिशियल स्टांप पेपर पर 7 दिवस में अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
12. एक से अधिक फर्मो की न्युनतम दर एक समान होने पर कार्य का आवंटन लाटरी पद्वती से होगा, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
13. मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कराने हेतु तत्कालीक व्यवस्था 31.01.2022 तक चलेगी। तथा अधिकतम 06 माह तक इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी /भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर बढाया जा सकेंगा।

14. फोटो पहचान पत्र मुद्रण का कार्य जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में ही वेण्डर को एक कक्ष आवंटित कर पुर्ण सुरक्षा में कराया जाना है। इस कक्ष में केवल अधिकृत वेण्डर के प्रतिनिधि तथा इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे।

15. वेण्डर अपना सेटअप जिला निर्वाचन कार्यालय में चिन्हांकित स्थान पर ही लगावेंगे तथा जिसका पुर्ण नियंत्रण जिला निर्वाचन कार्यालय का होगा।

16. वेण्डर पर्याप्त संख्या में कम्प्युटर कार्ड प्रिंटर आदि सामग्री मय कार्ट्रेज रिफिल आदि को अग्रिम रूप से संधारित करेंगे, तथा यह सामग्री रिजर्व सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में आवंटित कक्ष में ही उपलब्ध रहना चाहिये।

17. ईपिक कार्ड मुद्रण किये जाने की संख्या का अनुमानित आंकलन एवं प्रतिदिन कितने कार्ड मुद्रण होंगे उसके अनुसार कम्प्युटर कार्ड प्रिंटर , सेटअप आदि की व्यवस्था वेण्डर से सुनिश्चित कराने का पुर्ण उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा।

18. समस्त ईपिक कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाता को वितरित होंगे, इसके लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा एक एम ओ यू पोस्टल डिपार्टमेंट से किया गया है। स्पीड पोस्ट के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसे जिले के चिन्हांकित पोस्ट आफिस को भेजना सुनिश्चित करें।

19 केवल मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रदाय ब्लैंक ईपिक कार्ड का उपयोग किया जाना है, जो जिला निर्वाचन कार्यालय बडवानी के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदाय किये जावेंगे।

20. यदि मुद्रण में कोई कार्ड सही मुद्रित नहीं होता है तो उस कार्ड को नियमानुसार विनिष्ठिकरण किया जावेंगा।

21. वेण्डर द्वारा दिये गए प्रतिनिधि का पोलिस वेरिफिकेशन अनिवार्यतः किया जावें।

22. प्रतिदिन की उपस्थिति पंजी एवं कक्ष प्रवेश की लाकबुक तैयार की जावे जिसे प्रतिदिन उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन पर्यवेक्षक सत्यापित करेंगे।

23. कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपकरण मोबाईल में लगने वाला डाटा केबिल, पेनड्राईव, सीडी ईत्यादि लाने ले जाने दोनों की ही अनुमति नहीं होगी।

24. जितने कार्ड मुद्रित होंगे तथा स्पीड पोस्ट के लिए लिफाफे में पैक कर पोस्ट आफिस को दिये जावेंगे, उनकी सूची सहित रिकार्ड वेण्डर को प्रतिदिन का रखकर जिला निर्वाचन कार्यालय को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना होगा। यह कार्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जावेंगा।

25. चुंकि स्पीड पोस्ट से लिफाफे भेजे जाने है तथा लिफाफे के मापदंड अभी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में सामान्य डाक वाला के लिये उपयोग होने वाला शासकीय लिफाफा ही उपयोग में लिया जाकर लिफाफे पर चिपकने वाला पता वेण्डर द्वारा लेजर प्रिंट से मुद्रित किया जावेंगा, तथा लिफाफे पर चिपकाया भी जावेगा।

26. ईपिक मुद्रण लिफाफे पर लगने वाले पते का मुद्रण एवं स्पीड पोस्ट का ईएमएस स्टीकर वेण्डर द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में होगा, इसके लिए आनलाईन अप्लीकेशन मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा दी जावेगी। तथा चयनित वेण्डर को इसका प्रशिक्षण मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा दिया जावेंगा।

27. तैयार लिफाफा जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा स्पीड पोस्ट हेतु चिन्हांकित पोस्ट आफिस में करेंगे।

28. इस निविदा की अवधि दिनांक 31.01.2022 तक होगी। निविदा की अवधि को बढाने या कम करने या समाप्त करने का सर्वाधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकरी मध्यप्रदेश पुर्व अनुमति से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होगा।

29. निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हो एवं तकनिकी निविदा में अपलोड किये गए वांछित सभी अभिलेख क्रमवार संलग्न किये गए हो। केवल वही अभिलेख तकनिकी निविदा में अपलोड किये जाए जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हो, अनावश्यक और अवांछित को अभिलेख तकनिकी एवं वित्तिय प्रस्ताव निविदा में अपलोड ना किये जाए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

30. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त को निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के संबंध में न्यायाधिकार क्षेत्र जिला मुख्यालय होगा। आवश्यकता पडने पर निविदा की नियम/शर्तो में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

31. निविदाकार की कंपनी/फर्म/प्रोपराईटर शाप का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

32. निविदाकार के पास निविदा जमा करने दिनांक को वैघ जीएसटी और पेन नंबर होना अति आवश्यक है।

33. ईपिक मुद्रण कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी बडवानी कार्यालय में चिन्हित कक्ष में कराया जावेंगा।

34. ईपिक कार्ड मुद्रित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को सौपने होंगे।

35. निविदाकार द्वारा डाटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

36. मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रकार सभी नए पहचान पत्रों को रंगीन फोटो के साथ पीव्हीसी शीट पर मुद्रित किया जाएगा। पहचान पत्र का आकार 8.6 सेमी लम्बा एवं 5.4 सेमी चौडा जिसमें 5 प्रतिशत अधिक या कमी की अनुमति होगी एवं मोटाई 0.6 मीमी से 0.8 मीमी होना अनिवार्य है।

37. मतदाता फोटो पहचान पत्र के शीर्ष (अग्र भाग)पर भारत निर्वाचन आयोग अंग्रेजी तथा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में, निर्वाचक का रंगीन फोटो , निर्वाचक का ईपीआईसी नंबर वर्णो एवं नंबरो में तथा एक बार कोड के रूप में मुद्रित किया जाकर निर्वाचक का नाम

अंग्रेजी तथा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित तथा रिश्तेदार का नाम अंग्रेजी तथा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किया जाना होगा।

38. मतदाता फोटो पहचान पत्र में लिंग अंग्रेजी तथा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में एवं जन्मतिथी/आयु अंग्रेजी में , पता अंग्रेजी तथा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में एवं विधानसभा क्षेत्र का नंबर और नाम अंग्रेजी तथा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में , भाग नंबर और नाम अंग्रेजी तथा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्केन किये गए हस्ताक्षर पश्च्य भाग पर मुद्रित ।

39. ईपीआईसी फोटो का प्रिंट आकार 3.2 सेमी (लम्बाई) और 2.4 सेमी (चौडाई) होना चाहिए।

40. वेण्डर पेपर जांच शुल्क स्वयं खर्च वहन करेगा, मुद्रण कार्य के वेस्टेज को श्रेडर मशीन द्वारा नष्ट किये जाने का उत्तरदायित्व वेण्डर का होगा।

41. स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले लिफाफे चयनित वेण्डर के द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।

पात्रता के मापदंड

01	निविदाकार भारत में वैधानिक रूप से पंजीकृत कंपनी/फर्म/प्रोपराईटर शाप होनी चाहिए जो कि 31.03.2021 को कम से कम 03 वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में हो।	स्थापना पंजीयन/गुमास्ता पंजीयन
02	निविदाकार के पास निविदा जमा कराने की दिनांक को वैध जीएसटी और पेन नंबर होना चाहिए।	प्रमाण पत्र संलग्न करें
03	निविदाकार का औसत टर्न ओवर पिछले 3 वित्तिय वर्षो 2017–18 ,2018–19 और 2019–20 में कम से कम 25.00 लाख अक्षरी पच्चीस लाख का होना चाहिए जिसमें मुद्रण कार्य से औसत टर्न ओवर वर्ष 7 लाख या अधिक का ना हो।	CA प्रमाण पत्र UDIN नंबर के साथ जिसमें पुरे टर्न ओवर और समान कार्य से टर्न ओवर स्पष्टता से दर्शाया गया हो
04	विगत 3 वर्षो में मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्य का विभिन्न सरकारी विभाग/कार्यालय मे किये गए कार्य का राशि रू 7.00 लाख तक के एक मुश्त कार्यादेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	कार्यादेश की प्रति एवं कार्य पुर्णता का प्रमाण पत्र

सेवा स्तर एवं दंड पेनल्टी

वेंडर द्वारा निम्नलिखित सेवा स्तर पैरामीटरों का कड़ाई से पालन किया जाएगाः–

सेवा	सेवा स्तर	दंड
मतदाता पहचान पत्र, पता मुद्रण एवं लिफाफे में चस्पा करने का कार्य	ईआरओं द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात 5 दिवस में तैयार कर उपलब्ध कराना होगा	जिसे कुल कार्य का मुद्रण पुरा नहीं हुआ है उस पर विकेता को 20 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा

भुगतान

भुगतानः जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जावेगा।

1. वेण्डर कार्य के प्रत्येक भाग को सफलतापूर्वक पुरा करने के बाद (कार्य विवरण में वर्णित) बिल जमा करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वेण्डर को बिल का 80 प्रतिशत भुगतान सत्यापन उपरांत किया जावेगा।
2. संतोषजनक कार्य पुर्ण होने पर वेण्डर कार्य के शेष भुगतान के लिये हकदार होगा, जो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौपा गया है। वेण्डर शेष राशि 20 प्रतिशत का बिल जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक हो तो किसी भी राशि की कटौत्री के बाद शेष राशि का भुगतान करेंगा। विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(शिवराज सिंह वर्मा)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बडवानी

वित्तीय प्रस्ताव

सं.क्रं	कार्य का विवरण	प्रति	प्रिंटिंग मुल्य
1	मतदाता परिचय पत्र मुद्रण, मतदाता के पते का मुद्रण लेजर प्रिंटर से, फोटो पहचान पत्र भेजने हेतु लिफाफे की आपूर्ति, लेजर प्रिंटर से मुद्रित पते की पर्ची को लिफाफे पर चिपकाना	प्रति नग	

नोटः–

1. विभाग द्वारा जीएसटी की जो भी दर प्रचलन में होगी वह पृथक से देय होगी।
2. मुद्रण की दर रू में दी जाना है।
3. प्रस्तुत दर अनुबंध की अवधि तक समान होगी।

निविदकार के हस्ताक्षर
एवं मोहर

ANNEXURE-1

निविदा के साथ निविदाकार द्वारा संलग्न किया जाये

1. फर्म का नाम...
2. फर्म का पता...
3. निविदाकार का नाम...
4. पिता का नाम...
5. कार्य का अनुभव...
6. निविदाकार का टर्न ओवर..

(सी.ए. का प्रमाणीकरण संलग्न किया जावे)

7. निविदाकार का जीएसटी नंबर (प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)..........................
8. मोबाईल नंबर...
9. ई–मेल..

10– उपरोक्त पते पर स्थापित लेजर प्रिंटरों/वर्करों आदि का विवरणः–

स.क्र.	वर्तमान में उपलब्ध प्रिंटरों की कुल संख्या	प्रिंटर किस कंपनी का है। पुरा नाम सीरिज और मुन्युफैक्चरिंग वर्ष का विवरण	प्रिंटर का प्रकार ईपीक कार्ड प्रिंटर/लेजर प्रिंटर	प्रतिदिन प्रिंट करने की क्षमता	जनरेटर/यूपीएस की व्यवस्था	स्थापित कम्प्युटर की संख्या	प्रिंटर दुरस्ती इंजीनियर की संख्या	अनुभवी कर्मचारियों की संख्या

हस्ताक्षर एवं मोहर

तकनीकी निविदा चैकलिस्ट
(निम्न जानकारी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)

1. स्थापना पंजीयन
2. जीएसटी पंजीयन की प्रति
3. पेन कार्ड की प्रति
4. CA का टर्नओवर प्रमाण पत्र
5. कार्यादेश एवं कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र
6. Annexure-1 तकनीकी प्रस्ताव
7. Annexure-2 सहमति पत्र
8. Annexure-3 काली सूची में शामिल न होने का प्रमाण–पत्र
9. Annexure-4 शपथ पत्र

Annexure-2

सहमति–पत्र

(निविदाकार द्वारा लेटरहेड पर जमा किया जावे)

मैंने...फर्म का नाम.....................................

पता..की विधानसभा क्षैत्रों के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र के मुद्रण हेतु जारी निविदा कं.....................................दिनांक............................का अवलोकन एवं शर्तो का भी अध्ययन कर लिया है। मैं उनके पालन का वचन देता हूं। इस हेतु वित्तीय निविदा में दी गई दर पर कार्य निर्धारित अवधि तक करने के लिये सहमत होकर इस हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हू। कार्यादेश प्राप्त होने पर निविदा की पूर्ण शर्तो के अनुसार अनुबंध एवं कार्य करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

निविदाकार / प्राधिकृत का नाम..

पदनाम..

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मोहर...

दिनांक...

Annexure-3

काली सूची (Black List) में शामिल न होने का घोषणा पत्र
किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में न डाले जाने की स्व घोषणा
(निविदाकार द्वारा लेटरहेड पर जमा किया जावे)

प्रति,

जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बडवानी म.प्र.

विषयः– किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में न डाले जाने की घोषणा।

संदर्भः– मध्य प्रदेश राज्य के जिला बडवानी म.प्र. के लिये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार फोटो मतदाता सूची के मुद्रण के लिये निविदा।
निविदा संख्या ....दिनांक...

श्रीमान, उपयुक्त निविदा मे मैं/हम..मेसर्स ....के..पदनाम के रूप में, एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी/कंपनी/फर्म..का पिछला रिकार्ड बेदाग है और किसी भी राज्य द्वारा हमारी संस्था को काली सूची में शामिल नहीं किया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। केंन्द्र सरकार , राज्य सरकार या पीएसयू में असंतोषजनक प्रदर्शन, सामान्य या विशिष्ठ निर्देशों के उल्लंघन, भ्रष्ट/धोखाधडी या किसी अन्य मामले में अनैतिक व्यवसाय प्रथाओं के कारण अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पद...
स्थान...
दिनांक...
सील और साइन................................

Annexure-4

शपथ पत्र

(तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत निविदाकार द्वारा दिया जाना है

मैं..पुत्र...
निवासी...पदनाम..
फर्म का नाम..सत्यनिष्ठ से पुष्टि करता हुं और निम्नानुसार बताता हूं।

1. की मैं..कंपनी का नाम...का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूॅ और मुझे कंपनी/फर्म द्वारा निविदाकार की ओर से शपथ लेने और इस शपथ पत्र को प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।
2. यह की मैने जिला निर्वाचन अधिकारी जिला...........................निविदा का नाम विधान सभा क्षैत्रों के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र मुद्रण की निविदा के लिए हमारी पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की है, प्रस्ताव के लिए अनुरोध निविदा दस्तावेज के माध्यम से हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी उक्त जानकारी सटीक, सत्य और सही है और हमारे पास उपलब्ध हमारी रिकार्ड पर आधारित है।
3. की मैने इस निविदा के तहत हमारे द्वारा प्रदान की गई हमारी साख/जानकारी को सत्यापित करने के लिए किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने की पुष्टि करता हू।
4. यदि अनुबंध अवधि सहित किसी भी समय, यदि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला........... ....हमारी वित्तीय या तकनीकी क्षमताओं या किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में कोई और अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करता है, तो मैं तुरंत प्रत्येक जानकारी को सटीक रूप से उपलब्ध कराउंगा और सही ढंग से जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बडवानी म.प्र. को सहयोग करूंगा।
5. की मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और समझता हूं की निविदा में हमारे द्वारा किसी भी झूटी या भ्रामक जानकारी को प्रस्तुत करने से हमें निविदा प्रकिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रत्येक अयोग्यता के लिए लागत और जोखिम पूर तरह से हमारे द्वारा वहन किया जायेगा और हमारी अमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बडवानी म.प्र. अपने विवके पर अदालत में मेरी फर्म के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।
6. मेरे द्वारा निविदा दस्तावेज के सभी नियम और शर्तो का विधिवत अनुपालन किया गया है।

नाम और हस्ताक्षरः
स्थान.........................
दिनांक.....................